गन्ना किसानों का 9,471 करोड़ बकाया

पीयूष पांडेय

नई दिल्ली। गन्ना किसानों को राहत देने की सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद बकाया भुगतान में अब तक कमी नहीं आई है। नए पेराई सीजन की शुरुआत हो चुकी है, पर गन्ना किसानों को पिछले सीजनों के 9,471 करोड़ रुपये अभी भी बकाया हैं। ऐसे में आगे भी बकाया कम होने के बजाए बढ़ने का अनुमान है।

गन्ना किसानों का बकाया भुगतान करने के लिए केंद्र की ओर से कई कदम उठाए गए। सरकार ने गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 20 रुपये से बढ़ाकर 275 रुपये कर दिया था। चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य 29 रुपये निर्धारित किया गया था। इसके अलावा चीनी निर्यात में भी मिलों को छूट/मुहैया कराई गई थी। साथ ही सरकार चीन, बांग्लादेश, मलयेशिया, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में निर्यात की संभावनाएं भी तलाश रही है। यह कदम पूरा बकाया भुगतान करने में नाकाफी साबित हुए। माना जा रहा है कि इस स्थिति में सरकार नए कदम उठाने पर विचार करेगी।

नया पेराई सीजन शुरू, गन्ना किसानों का एक चौथाई बकाया अभी भी शेष

पिछले सीजन में उत्तर प्रदेश के किसानों का बकाया सबसे अधिक

मई में बकाया राशि थी 37,700 करोड़ : गन्ना सीजन 2017-18 के एफआरपी पर गन्ने का बकाया 1,924 करोड़ रुपये है, जबकि इसी अवधि का राज्य परामर्श मूल्य 5,465 करोड़ रुपये बकाया है। 2,082 करोड़ रुपया भी बकाया है। इन तीनों को जोड़ने के बाद गन्ना किसानों का कुल बकाया 9,471 करोड़ रुपये होता है। मई में गन्ना किसानों का कुल बकाया 37,700 करोड़ रुपये था। ऐसे में एक चौथाई बकाया अभी शेष है।

कैबिनेट ने भी की सहायता : कैबिनेट ने चीनी मिलों पर किसानों के भारी बकाया की राशि के मद्देनजर प्रति टन 55 रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए अनुमति दी थी। उस समय बकाया 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका था। समिति ने गन्ना किसानों के लिए 55 रुपये प्रति टन उत्पादन संबद्ध सहायता मुहैया कराने को कहा था।

पहले और अब के हालात में काफी अंतर

उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक अब तक उठाए गए कदमों का सकारात्मक असर रहा है। पहले और अब के हालात में अंतर है। चीनी मिलों का निर्यात में अच्छा प्रदर्शन नहीं है। ऐसे में सरकार नए कदमों पर भी विचार कर रही है। उम्मीद है कि उनसे आने वाले दिनों में किसानों का पूरा बकाया चुकाया जा सकेगा।

Amar Ujala
14/12/18